राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक-प.10(3)राज-6/2001/5 जयपुर,दिनांक:-21.2.2006

प्रेषित:-समस्त संभागीय आयुक्त,राज0।

समस्त जिला कलेक्टर,राज0।

## परिपत्र

राजस्व भूमियों पर खनन पट्टा जारी करने व अनापति प्रमाण पत्र देने के सबंध में इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र प0 6(13)राज-6/92/25 दि0 29.12.94 तथा दिनांक 18.3.2000 जारी किया गया था। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि जिला कलेक्टर्स द्वारा चारागाह भूमि पर खनन पट्टे हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर 4 हैक्टेयर तक की चारागाह भूमि रिलीज करने के अधिकार जिला कलेक्टर्स को प्राप्त होने के कारण प्रत्येक प्रार्थना पत्र को अलग-अलग मानकर एक ही स्थान पर काफी बडे-बडे चारागाह क्षेत्र रिलीज कर दिये है। इससे चारागाह सुरक्षित करने का उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है।

अत: स्पष्ट किया जाता है कि जिला कलेक्टर/भविष्य में किसी ग्राम/ किसी स्थान विशेष पर अधिकतम 4 हैक्टेयर भूमि ही रिलीज कर सकेगें। प्राप्त प्रस्तावों को अलग-अलग 4 हैक्टेयर का प्रस्ताव मान कर रिलीज नहीं कर सकेगें। अर्थात उस ग्राम, स्थान विशेष में चरागाह भूमि रिलीज करने के विभिन्न प्राप्त प्रस्ताव में रिलीज चाहने हेतू भूमि की कुल मात्रा 4 हैक्टेयर से अधिक होने पर जिला कलेक्टर अपने स्तर पर उसे रिलीज नही कर ऐसे प्रस्ताव इस विभाग को अपनी टिप्पणी/राय के साथ निर्णय हेतु प्रेषित करावें।

शासन उप सचिव 21/2/06

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1.निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री महोदया/वि0सहायक,मा0 राजस्व मंत्री।
2.निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,राजस्व/शासन सचिव,राजस्व।
3.निबंधक,राजस्व मंडल,अजमेर।
4.समस्त उप शासन सचिव,राजस्व विभाग।
5.रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव 21/2/06